January To March 2023
E-Journal
Volume I, Issue XLI

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor - 7.671

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

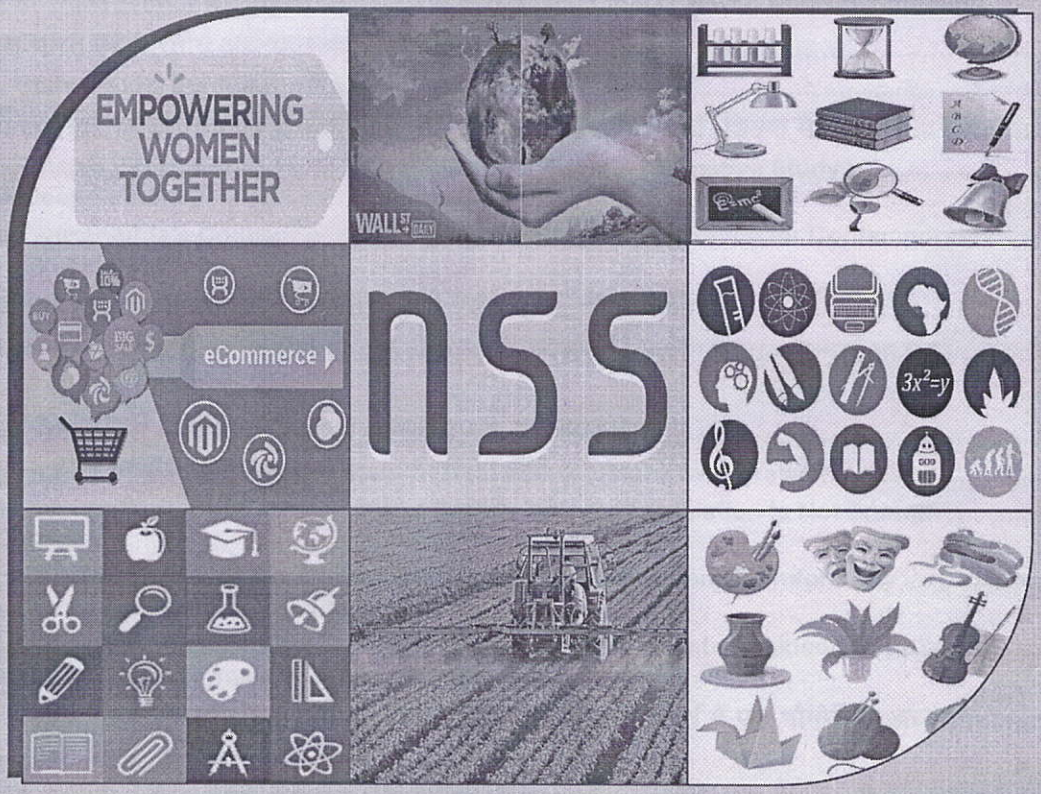

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

99. QSAR Modelling of Some Benzimidazole Derivatives as Anti-Bacterial Agents 300
(Nagma Nigar, Dr. Vijay Agrawal)
100. गुरु सानिध्य की उपादेयता (डॉ. रमाशंकर मिश्रा) 306
101. ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु पोषण की चुनौतियाँ और संभावित निराकरण (डॉ. रूपाली गुप्ता) 308
102. शिक्षण अभिक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक (ज्योति सालवी, डॉ. शैलजा भारद्वाज) 310
103. महामारी कोविड - 19 और भारत में केन्द्र-राज्य संबंध (डॉ. रितु तिवारी) 312
104. महिलाओं में राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूकता (डॉ. वर्षा सागोरकर, रजीना खान) 315
105. जयशंकर प्रसाद के नारी पात्र (डॉ. बरखा श्रीवास्तव) 317
106. Rights of Transgender Recognized by Laws Prevailed in India (Pawan Kumar Chaurasia) 320
107. डिजिटल भारत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था (कमलेन्द्र कुमार सिंह) 325
108. Binary Stars and its Evolution (Shubhra Tiwari) 329
109. भारतीय स्वतंत्रता के क्रान्तिकारी आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता (डॉ. शिल्पा मेहता) 332
110. Health Related Fitness in 14 To 17 Year Old School Boys: A Normative Study 335
(Dr. Sandeep Kumar)
111. Swami Vivekananda's Concept of Practical Vedanta and its Relevance for Contemporary 339
World (Dr. Akhilesh Mani Tripathi)
112. पंचायती राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं का नेतृत्व (डॉ. नीरजा गर्ग) 343
113. एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोरों के यौन अपराधों के स्वरूप एवं प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन 346
(अमृता मौर्या, डॉ. कल्पना शर्मा)
114. भारत की विदेश नीति - बदलाव की ओर (अनिता नावड़े, डॉ. लता मंसारे) 348
116. Negligence And Misinterpretation: How To Deal With It? (Manaswi Agrawal) 352
117. Manual Scavenging: An Affront to Human Dignity Why the Legislation is Not Enough 356
(Neha Goyal)
118. Computer Literacy Among the Medical College Library Professionals: Indore City 363
(Mayur Mehta, Dr. Pratibha Bhandari)
119. Assessment of Job Satisfaction in Library Professionals of Private Engineering Colleges 366
of Indore City (Neha Verma, Dr. Bindu Lodha)
120. ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों का विकास : सिवान जिला के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन 369
(डॉ. योगेन्द्र राय, डॉ. बीरेन्द्र कुमार)
121. कालिदास साहित्य में पर्वत: एक अध्ययन (प्रो. अनिल कुमार आर्य) 371
121. जनजातीय शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शासकीय शैक्षणिक योजनायें: मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में 375
(महेन्द्र प्रताप प्रजापति, डॉ. रामसिंह पटेल)
122. आत्मनिर्भर भारत अभियान : आर्थिक परिवर्तन की शुरूआत (डॉ. रश्मि चौहान) 378
122. कबीर के दर्शन में राम का स्वरूप (दशरथ आर्य) 381
123. स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन (डॉ. विजया थोटेकर) 383
124. Evaluation of Vermitechnology Versus Chemical Fertilizer & Its Response on Growth 385
and Yield of Radish (Hritika Saini, Prof. (Dr.) Sunita Agarwal)
125. ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोण: एक राजनीतिक विश्लेषण (डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा, अनिल कुमार भटकर) 392
126. ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय पंचायतों का आधार: राजनीतिक विश्लेषण (डॉ. भावना भदौरिया, सुजाता अहिरवार) 397
127. सूचना का अधिकार अधिनियम: अवधारणा एवं चुनौतियाँ (डॉ. भावना भदौरिया, सोनम बाल्मीकि) 400
128. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी : एक अध्ययन 402
(डॉ. धनंजय कुमार वर्मा, लक्ष्मी बनवारी)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सूचना का अधिकार अधिनियम: अवधारणा एवं चुनौतियाँ

डॉ. भावना भदौरिया* सोनम बाल्मीकि**

* सह-शोध निर्देशक, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सूचना ऐसी चीज है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक समाज के जीवन तथा शासन में भागीदारी करने की अपेक्षा करता है।

जितना ज्यादा सूचना तक नागरिकों की पहुँच होगी, उतना अधिक सामुदायिक आवश्यकता के प्रति शासन का उत्तर होगा, गोपनीयता और जवाबदेही दोनों एक साथ नहीं चल सकते इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तरदायित्व वाली सरकार में गुप्त बाते होती अवश्य है, परंतु बहुत कम लेकिन जनता के ये सभी प्रतिनिधि अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते है। प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है। कि प्रत्येक सार्वजनिक सेवक, प्रतिनिधि कार्यों को किस प्रकार करता है। उसको यह भी जानने का अधिकार है कि सरकारी अधिकारी द्वारा उनके लिए प्रत्येक बात को किस प्रकार किया जाता है। पारदर्शिता ही वह संस्कृति है, जिसकी आवश्यकता किसी उत्तम अभिशासन के लिए होती है, गोपनीयता का प्रत्यक्ष अभिप्राय ही अधिकार सम्पन्नता विहीन करना होता है।

शब्द कुंजी – सूचना, अधिकार, प्रशासन, लोकतंत्र, अधिनियम, पारदर्शिता।

प्रस्तावना – किसी भी देश में न्याय, कानून का शासन और अपने नागरिकों के अधिकार ये तीन ऐसी पवित्रतम अवधारणाएं हैं, जिनका विकास न केवल लोकतंत्रों एवं उनकी संस्थाओं के संरक्षण के लिए बल्कि उनके सही परिपेक्ष्य में उन्हे सुरक्षित करने के लिए भी किसी व्यक्ति की बुद्धि द्वारा किया गया है।

भारत जैसे लोकतंत्रिक देश का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय से संबंधित अपनी बात रखने एवं उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि सूचना एवं पारदर्शिता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (आजादी) का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

सूचना वह शक्ति है जो शब्द मात्र नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है, और यह भी उतना सत्य है कि सूचना का अभाव एक गम्भीर जिम्मेदारी हो सकती है। हम अपनी जनता को सही एवं उपयोगी सूचना देते है, तो हमें दिखाई देगा कि हमारी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने में वे हमारे कितने बड़े सहायक हो जायेगे, लेकिन जिस सूचना की उन्हे आवश्यकता है वह विकृत या गलत सूचना के स्त्रोतों पर निर्भर कर दे तो हम पाऐंगे कि हमारी सर्वोत्तम योजनाएँ किस प्रकार से असफलता के दलदल में फंसी रह जाएँगी, सूचना हमारी जनता का मूलभूत अधिकार है। सूचना का अधिकरी अधिनियम 2005 लोकतंत्र की दिशा में उसकी संपूर्ण अनुभूति करने वाली एक छलांग है।

आर.टी.आई. सत्ता में समान भागीदारी की मांग है साथ ही किसी के द्वारा सत्ता की निरंकुशता पर भी अंकुश लगाता है। जनतांत्रिक व्यवस्था में इसकी वैधता से सशक्तिकरण एवं परिवर्तन के लिए संघर्ष की अपनी क्षेतिज को और व्यापक करने का अवसर मिला है। इस कानून में सूचना शब्द की विस्तृत परिभाषा दी गई है, यह अधिनियम आपको किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रखी गई सूचना को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

सूचना से आशय सरकारी ऐजेन्सियों के पास किसी भी रूप में रखी जैसे फाईले, अभिलेख, यथा निविदा, ठेका, अनुबंध पत्र, लॉगबुक, अधिसूचना, आदेश, पत्राचार, ई.मेल, राय-सुझाव, इलेक्ट्रानिक प्रारूप सामाग्रीयाँ तथा दृश्य-श्रव्य सामाग्रियॉ।

भ्रष्ट आचरण को नियंत्रित व नियमित करने के व्यापक उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

यह अधिनियम भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को सुदृढ एवं शक्तिशाली बनाने तथा नगरिकों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शोधपत्र का उद्देश्य:

1. सूचना के अधिकार का अवधारणात्मक अध्ययन करना।
2. सूचना के अधिकार के सफल क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. आर.टी.आई. के वर्तमान पहलुओं पर प्रकाश डालना।
4. लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का अध्ययन करना।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय स्त्रोतों द्वारा प्राप्त जानकारी को सम्मिलित किया गया है। जिसमें विभिन्न प्रकाशकों द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारियॉ आदि शामिल किये गये है।

शोध पत्र में प्राथमिक आकडों का उपयोग नहीं किया गया है।

अधिनियम का महत्व एवं प्रगति– 'जिन लोगो को सही और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही है, उनकी आजादी सुरक्षित नहीं है, उस आजादी को आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाना है।'

यह अधिनियम भारत में अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसमें अब तक के कार्यकाल में विभिन्न रूपों में शासन एवं प्रशासन तथा आम नागरिकों के हितों की दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण रहा है।

1. आर.टी.आई. से संबंधित आवेदनों ने विविध प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों एवं अन्य जानकारी को उजागर करने के लिए

संबंधित संस्थाओं पर दबाव डाला है।

2. सूचना के अधिकार के जरिए हम मंत्रियों नौकरशाही व न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों से जुड़ी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो कि सरकारी वेबसाईड पर दिखाया जाने लगा है साथ ही प्रत्येक वर्ष अपडेट भी किया जाता है।
3. सूचना के अधिकार से आम नागरिकों ने कई ऐसी जानकारिया हासिल की है जिससे उनकी रोजगर्रा की समस्याए सुलझ गई है।
4. इस अधिनियम के द्वारा कई घोटालों को उजागर किया गया है। जिसमें राष्ट्रमण्डल खेलों का घोटाला, आदर्श आवासीय घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लाक आवंटन घोटाला आदि शामिल है।

चुनौतियाँ:

1. सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ सूचनाओं को देने की मनाही की गई है, जो शासकीय गोपनीयता को भंग करने संबंधी होती है।
2. जागरूकता की कमी के कारण भी सूचना के अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौती का सामना करना पडता है, क्योंकि आवेदकों की अज्ञानता जैसे अपूर्ण आवेदन, निर्धारित शुल्क, स्पष्ट सूचना का अभाव आदि समस्याएं सामने आती है।
3. आर.टी.आई. के तहत कई आवेदनकर्ताओं के द्वारा सूचना के संबंध में असंतुष्टि जाहिर की गई है, जिसमें सूचना जो कि प्रदान की गई है उसकी खराब गुणवत्ता तथा भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
4. सूचना के अधिकार के तहत नौकरशाही में अभिलेखों को रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था का कमजोर होना।
5. आर.टी.आई. के लंबित मामलों की संख्या में लगातर वृद्धि भी इसकी बहुत बडी चुनौती है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2019 में लंबित अपीलों एवं शिकायतों की संख्या 2,18,347 थी जो कि वर्ष 2022 में बढ़कर 3,14,323 हो गई है।

निष्कर्ष– वर्तमान समय में देष के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों ने सूचना के अधिकार कानून का उपयोग किया है, यह अधिनियम धीरे–धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इस अधिनियम को शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसके समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के कारण यह वास्तविकता में प्राप्त नहीं हो पाया है। इस अधिनियम में अब नये कानूनों की आवश्यकता नहीं बल्कि बनै हुए कानून में सुधार के साथ सही रूप से लागू करने की आवश्यकता है जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार समाप्त करने में कारगर सिद्ध होगा व प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढावा मिलेगा।

अत: कहा जा सकता है कि यह अधिनियम आम जन के अधिकारों के पक्ष में अग्रसर तो हुआ है लेकिन वास्तविक लाभों को प्राप्त करने के लिए इसके मार्ग में आने वाली संरचनात्मक, संस्थागत् और प्रक्रियागत्, बाधाओं व जटिलताओं को तोडना होगा।

सत्ता को आम लोगो के नियंत्रण में रखने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. द्विवेदी डा. राधेश्याम : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005,सुविधा लॉ हाउस प्रा.लि. भोपाल, अष्टम संस्करण, 2012
2. शेण्डे हरिदास रामजी यसुदर्शन: आम आदमी का संवैधनिक हथियार, सूचना का अधिकार, अनु. प्रकाशन, जयपूर संस्करण 2013,
3. कुमार डॉ नीरज:जानिए अपना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली संस्करण 2011
4. मीणा डॉ. सुशीला देवी : सूचना का अधिकार एवं सुशासन, साहित्यागार जयपूर, प्रथम संस्करण 2016
5. पराडकर, श्रीनिवास :सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं सूचना का अधिकार नियम 2012, अमर खेत्रपाल लॉ हाउस इन्दौर, चौथा संस्करण 2021

****